

**बिहार सरकार**  
**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय**  
**गृह विभाग (कारा)।**

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-11- अप्रैल, 2017

**विषय:-मुख्यशीर्ष-2056 जेल, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-जेल उत्पाद, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0001-केन्द्रीय जेल के विषय शीर्ष 0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये ₹7,00,00,000 (सात करोड़ रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।**

विपत्र कोड सं0-22-2056001020001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब15/बी0एस0जी0-19/2017-428/वि0 दिनांक-31.03.2017 एवं पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये राशि का आवंटन आपकी कारा के लिये निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाता है:-

क	कारा का नाम	विषय शीर्ष	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभियुक्ति
1	शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर	0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	7,00,00,000	7,00,00,000	बंदी वस्त्र, कार्स्टिक साबुन, फिनाईल, कास्ट उद्योग एवं सरसो तेल पेराई उद्योग हेतु वांछित सामग्री।
कुल योग			7,00,00,000	7,00,00,000	सात करोड़ रुपये मात्र।

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2056 जेल, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-जेल उत्पाद, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0001-केन्द्रीय जेल के विषय शीर्ष 0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियां के तहत होगा। विपत्रों पर विपत्र कोड सं0-22-2056001020001, मांग सं0-22 एवं विषय शीर्ष अंकित किया जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा इन्हें पारित नहीं किया जायेगा।

3. सामग्रियों का क्रय वित्तीय नियमावली एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हुए किया जाय।

4. विभाग द्वारा पूर्व में दिए गए निदेशों का पालन किया जाय।

5. उत्पादित सामग्रियों के गुणस्तर पर विशेष ध्यान दिया जाय।

6. वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार ही निकासी/व्यय सुनिश्चित किया जाय।

7. उत्पादित सामग्रियों का मूल्य संधारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि इनका मूल्य कारा हस्तक नियम के अनुसार ही तथा बाजार दर से अधिक न हो।

चन्द्र देव प्रिय मी. जमानुद्दीन अशादी

राज राशि

8. व्यय में मितव्ययिता बरती जाय एवं व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दी जाय।

9. कारा हस्तक में निहित प्रावधान के तहत सभी प्रकार के भंडारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाय एवं सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

चन्द्र देव राम मो. जमानुद्दीन अंशारी

राजश्री लि.

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(उद्योग)06-01/17-18

पटना, दिनांक-11 - अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

चन्द्र देव राम मो. जमानुद्दीन अंशारी

राजश्री लि.

कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(उद्योग)06-01/17-18

पटना, दिनांक-11 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/  
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

चन्द्र देव राम मो. जमानुद्दीन अंशारी

राजश्री लि.

कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।